

649

(राजेश बिंदल, जे.)

राजेश बिंदल के समक्ष,
मेसर्स केशोब प्लांट्स, - याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य, - प्रतिवादी
सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 19579 2002
13 अगस्त 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 286-पंजाब गेरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1948- धारा 10सी -कार्य ठेकेदारों को भुगतान से कर की कटौती-क्या राज्य विधानमंडल कार्य अनुबंधों पर कर लगाने के लिए संक्षम है- माना गया, नहीं-याचिका की अनुमति दी गई, धारा 10सी कर लगाने पर रोक लगाई गई संविधान के अधिकार के बाहर रहें।

निर्धारित किया गया है कि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 10 सी के प्रावधान, जो प्रावधानों के लिए पैरामटेरिया हैं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द कर दिया गया था, को संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया जाना चाहिए। भारत की तरह यह भी स्पष्ट रूप से राज्य विधायिका की क्षमता से परे है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 10 सी को अधिकारातीत घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के खाते में काटी गई कर की राशि तुरंत वापस करने का निर्देश दिया गया है। (पैरा 27 और 28)

जी.आर. सेठी, याचिकाकर्ताओं के वकील (2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 13852, 17607, 17611, 17614, 17616 और 2005 के 17617 में)

केएल गोयल और संदीप गोयल, याचिकाकर्ताओं के वकील (2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11902 में)

रमन शर्मा, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील (2002 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19579, 2003 के 1358, 1691, 2538 और 3131 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए

650

पुनीत कंसल, वकील (2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15198 में) विजय कुमार चौधरी,
सहायक महाधिवक्ता, पंजाब .

अनिल राठी, प्रतिवादियों के वकील, (2002 के सीडब्ल्यूपी संख्या 19579, 2003 के 1691
और 2003 के 2538 में)

राजेश बिंदल जे.

(1) यह आदेश 2002 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19579, 2003 के 1358, 1691, 2538 और 3131, 2004 के 11902, 13852 और 15198, 17607, 17611, 17614, वाली तरह याचिकाओं का निपटारा करेगा। 17616 और 2005 का 17617। याचिकाओं के समूह में प्राथमिक चुनौती पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1948 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 10 सी के दायरे में है।

तथ्य:

सी.डब्ल्यू.पी. 2002 का क्रमांक 19579:

(2) यहां याचिकाकर्ता भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए काम करने वाला ठेकेदार है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की, जिसने अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है। प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करने और अनुबंधकर्ता को स्रोत पर कर काटने से रोकने और याचिकाकर्ता के बिलों से पहले ही काटे गए कर की राशि की वापसी के लिए है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 1358:

(3) यहां याचिकाकर्ता भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए काम करने वाले ठेकेदार हैं। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की, जिसने

651

अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है। प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करने और अनुबंधकर्ता को स्रोत पर कर काटने से रोकने और याचिकाकर्ताओं के बिलों से पहले ही काटे गए कर की राशि की वापसी के लिए है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 1691:

(4) यहां याचिकाकर्ता भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए काम करने वाले ठेकेदार हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है। प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करने और अनुबंधकर्ता को स्रोत पर कर काटने से रोकने और याचिकाकर्ताओं के बिलों से पहले ही काटे गए कर की राशि की वापसी के लिए है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 2538:

(5) यहां याचिकाकर्ता भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए काम करने वाला ठेकेदार है। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है। प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करने और अनुबंधकर्ता को स्रोत पर कर काटने से रोकने और याचिकाकर्ता के बिलों से पहले ही काटे गए कर की राशि की वापसी के लिए है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 3131:

(6) यहां याचिकाकर्ता ठेकेदार हैं जिन्हें नगर निगम, लुधियाना, पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण, लुधियाना, सुधार ट्रस्ट, लुधियाना और कार्यकारी अभियंता, पंजाब पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, लुधियाना द्वारा विभिन्न ठेके दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

652

भी दायर की, जिसने अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है।

2004 का सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11902:

(7) याचिकाकर्ता नागरिक प्रकृति के कार्य अनुबंधों के निष्पादन में लगा हुआ है। यह अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत डीलर है। 7 मई, 2004 को, याचिकाकर्ता को मेसर्स के लिए काम करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा एक उप-अनुबंध से सम्मानित किया गया था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करने और अनुबंधकर्ता को स्रोत पर कर काटने से रोकने और याचिकाकर्ता के बिलों से पहले ही काटे गए कर की राशि की वापसी के लिए है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2004 की संख्या 13852:

(8) याचिकाकर्ता बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, वाचनालय स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित एक सोसायटी है। यह गांव मौली, तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला में विक्टोरिया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चला रहा है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल में क्लास रूम आदि की कुछ निर्माण गतिविधि की गई थी। मेसर्स के नाम पर एक ठेकेदार बिल्डटेक जालंधर लगा हुआ था, क्योंकि याचिकाकर्ता ठेकेदार को किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर काटने में विफल रहा, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 10 सी के तहत नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबों को खारिज करते हुए, वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए मूल्यांकन तैयार किया गया था, - 15 अप्रैल, 2004 के आदेशों के माध्यम से, राशि के 2% की दर से कर की मांग उठाई गई। इसके अलावा

अधिनियम की धारा 10 सी (5) के तहत जुर्माना और अधिनियम की धारा 10 सी (6) के तहत ब्याज भी लगाया गया। याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देते हुए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की, जिसने अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी लंबित है।

653

सी.डब्ल्यू.पी. 2004 की संख्या 15198:

(9) यहां याचिकाकर्ता भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए काम करने वाला ठेकेदार है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करने के अलावा अधिनियम की धारा 10 सी की शक्तियों को चुनौती देते हुए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की, जिसने अपील स्वीकार करते हुए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया, जहां यह अभी भी

लंबित है। प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करने और अनुबंधकर्ता को स्रोत पर कर काटने से रोकने और याचिकाकर्ता के बिलों से पहले ही काटे गए कर की राशि की वापसी के लिए है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2005 की संख्या 17607:

(10) याचिकाकर्ता कंपनी को मेसर्स द्वारा संख्या 331 और 333 वाले दो अनुबंध दिए गए थे। खराब स्थिति में विद्युत पारेषण टावरों की आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किशनपुरा से मोगा तक दो 800 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण, अनुकूलन, डिजाइन और निर्माण के लिए संख्या 332 और 334 वाले अनुबंधों का एक और सेट प्रदान किया गया। क्रमांक 331 और 333 वाले अनुबंधों का पहला सेट पूरी तरह से सामग्री की बिक्री के लिए था, टावर के हिस्सों का निर्माण और आपूर्ति मेसर्स द्वारा की गई थी। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधी नगर, अहमदाबाद और मेसर्स ट्रांसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई, जबकि नंबर 332 और 334 वाले अनुबंधों का दूसरा सेट कार्य अनुबंध था, जिसे 'निर्माण अनुबंध' के रूप में वर्णित किया गया था। इन्हें उप ठेकेदार मेसर्स मुकंद इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया गया था। रिट

याचिका में उठाया गया विवाद आकलन वर्ष 1997-98 से संबंधित है। मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए याचिकाकर्ता काम कर रहा था, ने याचिकाकर्ता द्वारा कार्य अनुबंधों के लिए दिए गए बिलों से स्रोत पर कर की कटौती की और उसे राज्य के पास जमा कर दिया। प्रश्नाधीन वर्ष के दौरान रु. स्रोत पर 27,00,933 रुपये की कटौती की गई। चूंकि याचिकाकर्ता ने भी एक उप-ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया था, इसलिए उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% की कटौती की गई और बिक्री कर विभाग के पास जमा कर दी गई। याचिकाकर्ता को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उसकी ओर से स्रोत पर कटौती के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र रिटर्न के साथ प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, 24 अप्रैल, 2002 के मूल्यांकन के समय इसका श्रेय नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता निर्धारण आदेश में करयोग्य टर्नओवर शून्य निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से स्रोत पर

654

काटे गए कर की राशि का क्रेडिट मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। मूल्यांकन के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 16 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत मामले को टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस भेज दिया। और रिमांड आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर स्वयं बोलने वाला आदेश पारित करना और यदि रिफंड देय है तो इसे याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर रिमांड आदेश पारित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता मामले को सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल पंजाब में ले गया, जिसने 27 अप्रैल, 2005 के आदेश के तहत मूल्यांकन प्राधिकारी को एक महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। हालांकि याचिका दायर करने के समय कार्यवाही अभी भी मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, तथापि, उसके लंबित रहने के दौरान, दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आदेश के तहत मूल्यांकन तैयार किया गया था। इसके आधार पर रु. याचिकाकर्ता को 27,00,933 रुपये वापसी योग्य पाए गए। याचिका में प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी के प्रावधान को रद्द करने और कानून के अधिकार के बिना आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई कर की राशि पर ब्याज देने के लिए भी है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2005 की संख्या 17611:

(11) याचिकाकर्ता कंपनी को मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नॉक डाउन स्थिति में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावरों की आपूर्ति के लिए संख्या 331 और 333 वाले दो अनुबंध दिए गए थे। किशनपुरा से मोगा तक दो 800 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण, अनुकूलन, डिजाइन और निर्माण के लिए संख्या 332 और 334 वाले अनुबंधों का एक और सेट प्रदान किया गया। क्रमांक 331 और 333 वाले अनुबंधों का पहला सेट पूरी तरह से सामग्री की बिक्री के लिए था, टावर के हिस्सों का निर्माण और आपूर्ति मेसर्स द्वारा की गई थी। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधी नगर, अहमदाबाद और मेसर्स ट्रांसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई, जबकि नंबर 332 और 334 वाले अनुबंधों का दूसरा सेट कार्य अनुबंध था, जिसे 'निर्माण अनुबंध' के रूप में वर्णित किया गया था। इन्हें उप ठेकेदार मेसर्स मुकंद इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया गया था। रिट याचिका में उठाया गया विवाद आकलन वर्ष 2000-2001 से संबंधित है। मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए याचिकाकर्ता काम कर रहा था, ने याचिकाकर्ता द्वारा कार्य अनुबंधों के लिए दिए गए बिलों से स्रोत पर कर की कटौती की और उसे राज्य के पास जमा कर दिया। प्रश्नाधीन वर्ष के दौरान रु. स्रोत पर 12,80,387 रुपये

655

की कटौती की गई। चूंकि याचिकाकर्ता ने भी एक उप-ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया था, इसलिए उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% की कटौती की गई और बिक्री कर विभाग के पास जमा कर दी गई। याचिकाकर्ता को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उसकी ओर से स्रोत पर कटौती के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र रिटर्न के साथ प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, 28 मई, 2002 को मूल्यांकन के समय इसका श्रेय नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता निर्धारण आदेश में करयोग्य टर्नओवर शून्य निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से स्रोत पर काटे गए कर की राशि का क्रेडिट मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। मूल्यांकन के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 16 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत मामले को टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस भेज दिया। और रिमांड आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर स्वयं बोलने वाला आदेश पारित करना और यदि रिफंड देय है तो इसे याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर रिमांड आदेश पारित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता मामले को सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल पंजाब में ले गया, जिसने 27 अप्रैल, 2005 के आदेश के जरिए मूल्यांकन प्राधिकारी को एक महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। हालांकि याचिका दायर करने के समय कार्यवाही अभी भी मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, तथापि, उसके लंबित रहने के दौरान, दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आदेश के

तहत मूल्यांकन तैयार किया गया था। इसके आधार पर रु. याचिकाकर्ता को 12,80,387 रुपये वापस करने योग्य पाया गया। याचिका में प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी के प्रावधान को रद्द करने और कानून के अधिकार के बिना आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई कर की राशि पर ब्याज देने के लिए भी है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2005 की संख्या 17614:

(12) याचिकाकर्ता कंपनी को मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नॉक डाउन स्थिति में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावरों की आपूर्ति के लिए संख्या 331 और 333 वाले दो अनुबंध दिए गए थे। किशनपुरा से मोगा तक दो 800 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण, अनुकूलन, डिजाइन और निर्माण के लिए संख्या 332 और 334 वाले अनुबंधों का एक और सेट प्रदान किया गया। क्रमांक 331 और 333 वाले अनुबंधों का पहला सेट पूरी तरह से सामग्री की बिक्री के लिए था, टावर के हिस्सों का निर्माण और आपूर्ति मेसर्स द्वारा की गई थी। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधी नगर, अहमदाबाद और मेसर्स ट्रांसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई, जबकि नंबर 332 और 334 वाले अनुबंधों का दूसरा सेट कार्य अनुबंध था, जिसे 'निर्माण अनुबंध' के रूप में वर्णित किया गया था। इन्हें उप ठेकेदार मेसर्स मुकुंद इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से

656

निष्पादित किया गया था। रिट याचिका में उठाया गया विवाद आकलन वर्ष 2000-2001 से संबंधित है। मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए याचिकाकर्ता काम कर रहा था, ने याचिकाकर्ता द्वारा कार्य अनुबंधों के लिए दिए गए बिलों से स्रोत पर कर की कटौती की और उसे राज्य के पास जमा कर दिया। प्रश्नाधीन वर्ष के दौरान रु. स्रोत पर 2,55,308 रुपये की कटौती की गई। चूंकि याचिकाकर्ता ने भी एक उप-ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया था, इसलिए उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% की कटौती की गई और बिक्री कर विभाग के पास जमा कर दी गई। याचिकाकर्ता को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उसकी ओर से स्रोत पर कटौती के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र रिटर्न के साथ प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, 5 मई, 2003 को मूल्यांकन के समय उसका क्रेडिट नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता निर्धारण आदेश में करयोग्य टर्नओवर शून्य निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से स्रोत पर काटे गए कर की राशि का क्रेडिट मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। मूल्यांकन के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 16 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत मामले को टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस

भेज दिया। और रिमांड आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर स्वयं बोलने वाला आदेश पारित करना और यदि रिफंड देय है तो इसे याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर रिमांड आदेश पारित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता मामले को सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल पंजाब में ले गया, जिसने 27 अप्रैल, 2005 के आदेश के जरिए मूल्यांकन प्राधिकारी को एक महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। हालांकि याचिका दायर करने के समय कार्यवाही अभी भी मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, तथापि, उसके लंबित रहने के दौरान, दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आदेश के तहत मूल्यांकन तैयार किया गया था। इसके आधार पर रु. याचिकाकर्ता को 2,55,308 रुपये वापसी योग्य पाए गए। याचिका में प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी के प्रावधान को रद्द करने और कानून के अधिकार के बिना आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई कर की राशि पर ब्याज देने के लिए भी है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2005 की संख्या 17616:

(13) याचिकाकर्ता कंपनी को मैसर्स द्वारा संख्या 331 और 333 वाले दो अनुबंध दिए गए थे। खराब स्थिति में विद्युत पारेषण टावरों की आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किशनपुरा से मोगा तक दो 800 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण, अनुकूलन, डिजाइन और निर्माण के लिए संख्या 332 और 334 वाले अनुबंधों का एक और सेट प्रदान किया गया। क्रमांक 331 और 333 वाले अनुबंधों का पहला सेट पूरी तरह से सामग्री की

657

बिक्री के लिए था, टावर के हिस्सों का निर्माण और आपूर्ति मैसर्स द्वारा की गई थी। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधी नगर, अहमदाबाद और मैसर्स ट्रांसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई, जबकि नंबर 332 और 334 वाले अनुबंधों का दूसरा सेट कार्य अनुबंध था, जिसे 'निर्माण अनुबंध' के रूप में वर्णित किया गया था। इन्हें उप ठेकेदार मैसर्स मुकंद इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया गया था। रिट याचिका में उठाया गया विवाद आकलन वर्ष 1999-2000 से संबंधित है। मैसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए याचिकाकर्ता काम कर रहा था, ने याचिकाकर्ता द्वारा कार्य अनुबंधों के लिए दिए गए बिलों से स्रोत पर कर की कटौती की और उसे राज्य के पास जमा कर दिया। प्रश्नाधीन वर्ष के दौरान रु. स्रोत पर 12,60,813 रुपये की कटौती की गई। चूंकि याचिकाकर्ता ने भी एक उप-ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया था, इसलिए उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% की कटौती की गई और बिक्री कर विभाग के पास जमा कर दी गई। याचिकाकर्ता को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

द्वारा उसकी ओर से स्रोत पर कटौती के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र रिटर्न के साथ प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, 28 मई, 2002 को मूल्यांकन के समय इसका श्रेय नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता निर्धारण आदेश में करयोग्य टर्नओवर शून्य निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से स्रोत पर काटे गए कर की राशि का क्रेडिट मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। मूल्यांकन के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 16 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत मामले को टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस भेज दिया। और रिमांड आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर स्वयं बोलने वाला आदेश पारित करना और यदि रिफंड देय है तो इसे याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर रिमांड आदेश पारित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता मामले को सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल पंजाब में ले गया, जिसने 27 अप्रैल, 2005 के आदेश के जरिए मूल्यांकन प्राधिकारी को एक महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। हालांकि याचिका दायर करने के समय कार्यवाही अभी भी मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, तथापि, उसके लंबित रहने के दौरान, दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आदेश के तहत मूल्यांकन तैयार किया गया था। इसके आधार पर रु. याचिकाकर्ता को 12,60,813 रुपये वापस करने योग्य पाया गया। याचिका में प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी के प्रावधान को रद्द करने और कानून के अधिकार के बिना आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई कर की राशि पर ब्याज देने के लिए भी है।

सी.डब्ल्यू.पी. 2005 की संख्या 17617:

(14) याचिकाकर्ता कंपनी को मेसर्स द्वारा संख्या 331 और 333 वाले दो अनुबंध दिए गए थे। खराब स्थिति में विद्युत पारेषण टावरों की आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

658

लिमिटेड। किशनपुरा से मोगा तक दो 800 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण, अनुकूलन, डिजाइन और निर्माण के लिए संख्या 332 और 334 वाले अनुबंधों का एक और सेट प्रदान किया गया। क्रमांक 331 और 333 वाले अनुबंधों का पहला सेट पूरी तरह से सामग्री की बिक्री के लिए था, टावर के हिस्सों का निर्माण और आपूर्ति मेसर्स द्वारा की गई थी। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधी नगर, अहमदाबाद और मेसर्स ट्रांसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई, जबकि नंबर 332 और 334 वाले अनुबंधों का दूसरा सेट कार्य अनुबंध था, जिसे 'निर्माण अनुबंध' के रूप में वर्णित किया गया था। इन्हें उप ठेकेदार मेसर्स मुकंद इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया गया था। रिट याचिका में उठाया गया विवाद आकलन वर्ष 1998-1999 से संबंधित है। मेसर्स पावर ग्रिड

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके लिए याचिकाकर्ता काम कर रहा था, ने याचिकाकर्ता द्वारा कार्य अनुबंधों के लिए दिए गए बिलों से स्रोत पर कर काट लिया और उसे राज्य के पास जमा कर दिया। प्रश्नाधीन वर्ष के दौरान रु. स्रोत पर 8,75,897 रुपये की कटौती की गई। चूंकि याचिकाकर्ता ने भी एक उप-ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करवाया था, इसलिए उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% की कटौती की गई और बिक्री कर विभाग के पास जमा कर दी गई। याचिकाकर्ता को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उसकी ओर से स्रोत पर कटौती के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र रिटर्न के साथ प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि, 24 अप्रैल, 2002 के मूल्यांकन के समय इसका श्रेय नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता निर्धारण आदेश में करयोग्य टर्नओवर शून्य निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से स्रोत पर काटे गए कर की राशि का क्रेडिट मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। मूल्यांकन के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 16 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत मामले को टीडीएस प्रमाणपत्रों के सत्यापन और पासिंग के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को वापस भेज दिया। रिमांड आदेश की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर स्वयं बोलने का आदेश दिया जाए और यदि रिफंड देय हो तो याचिकाकर्ता को यह राशि प्रदान की जाए। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर रिमांड आदेश पारित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता मामले को बिक्री कर ट्रिब्यूनल पंजाब में ले गया, जिसने 27 अप्रैल, 2005 के आदेश के जरिए मूल्यांकन प्राधिकारी को एक महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया। हालांकि याचिका दायर करने के समय कार्यवाही अभी भी मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, तथापि, उसके लंबित रहने के दौरान दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आदेश द्वारा मूल्यांकन तैयार किया गया था। इसके आधार पर रु. याचिकाकर्ता को 8,75,897 रुपये वापसी योग्य पाए गए। याचिका में प्रार्थना अधिनियम की धारा 10 सी के प्रावधान को रद्द करने और कानून के अधिकार के बिना आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई कर की राशि पर ब्याज देने के लिए भी है।

659

कानूनी प्रावधान:

(15) भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 में वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान हैं। उसी को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“286. माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध:

(1) किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाएगा, या लगाने का अधिकार नहीं देगा, जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है;-

(क) राज्य के बाहर; या

(बी) भारत के क्षेत्र में माल के आयात या बाहर माल के निर्यात के दौरान।

(2) संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बना सकती है कि माल की बिक्री या खरीद खंड (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से कब होती है।

(3) किसी राज्य का कोई भी कानून, जहां तक वह लागू करता है, या लगाने का अधिकार देता है,

- (ए) संसद द्वारा कानून द्वारा अंतर-राज्य व्यापार में विशेष महत्व घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर या वाणिज्य; या

(बी) माल की बिक्री या खरीद पर कर, अनुच्छेद के खंड (29ए) के उप-खंड (बी), उप-खंड (सी) या उप-खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है। 366, कर लगाने की प्रणाली, दरों और कर की अन्य घटनाओं के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जैसा कि संसद कानून निर्दिष्ट कर सकती है।

(16) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 राज्य विधानमंडल को समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। यह शक्ति भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I

660

अर्थात् 'संघ सूची' में प्रविष्टि 92A के प्रावधानों के अधीन है। मद्रास राज्य बनाम मेसर्स गैनन डंकरले एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड (1) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

प्रविष्टि 54 में अभिव्यक्ति 'माल की बिक्री' का वही अर्थ है जो माल की बिक्री अधिनियम में प्रदान किया गया है। 1930. इसलिए, राज्य विधानमंडल 'राज्य सूची' की प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री के रूप में कार्य अनुबंध में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति पर कर लगाने में सक्षम नहीं था। उपरोक्त निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए और कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधायिका को शक्ति प्रदान करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में खंड 29 ए जोड़ा गया था। संविधान (46वाँ संशोधन) अधिनियम, 1982। संशोधन में अन्य बातों के अलावा, 'कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल (चाहे माल या कुछ अन्य रूपों में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर' को माल की बिक्री और खरीद पर कर के दायरे में शामिल किया गया।

(17) चूंकि याचिकाओं में चुनौती अधिनियम की धारा 10 सी के तहत है, इसलिए इसे निकालना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"कार्य ठेकेदार को देय राशि से 10-सी कर कटौती: -

(1) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति, टीएमएसएफ़र के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए किसी भी डीलर (इसके बाद इस अनुभाग में ठेकेदार के रूप में संदर्भित) को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। कार्य अनुबंध के अनुसरण में माल में संपत्ति (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) ठेकेदार को नकद या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, ऐसे भुगतान के दो प्रतिशत के बराबर राशि काट ली जाएगी। इस तरह के कार्य अनुबंध के कारण इस अधिनियम के तहत देय कर की आंशिक या पूर्ण संतुष्टि, जैसा भी मामला हो, के लिए राशि।

(2) कोई भी ठेकेदार किसी भी उप-ठेकेदार को किसी भी भुगतान या किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है, या उप-ठेकेदार के साथ एक अनुबंध का अनुसरण, ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन में शामिल माल (चाहे सामान के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए, उस समय, ऐसे भुगतान या निर्वहन के लिए, नकद या चेक या ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से, ऐसे भुगतान या निर्वहन के दो प्रतिशत के बराबर राशि काट लें, जो इस तरह के हस्तांतरण पर इस अधिनियम के तहत देय कर का एक हिस्सा या पूरी राशि होने का तात्पर्य है। उप ठेकेदार द्वारा ठेकेदार द्वारा देय बिलों या चालानों से।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कटौती की गई राशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से सरकारी खजाने में जमा की जाएगी।

(4) धारा के प्रावधानों के अनुसार की गई कोई भी कटौती और सरकारी खजाने में जमा की गई, उस व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान माना जाएगा जिसके बिल और चालान से कटौती की गई है और उसे क्रेडिट दिया जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के मूल्यांकन में इस संबंध में निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर काटी गई राशि के लिए।

(5) यदि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति कटौती करने में विफल रहता है, या ऐसी राशि काटने के बाद कटौती की गई राशि जमा करने में विफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, लिखित रूप में, निर्देश दें कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में, इस धारा के तहत कटौती योग्य राशि के दोगुने से अधिक राशि का भुगतान नहीं करेगा, लेकिन कटौती नहीं की जाएगी और यदि कटौती की जाती है तो जमा नहीं की जाएगी। सरकारी खजाने में।

(6) उपधारा (5) के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में विफल रहता है या कटौती के बाद कटौती की गई राशि जमा करने में विफल रहता है, तो वह अठारह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस धारा के तहत कटौती योग्य राशि पर प्रति वर्ष प्रतिशत, लेकिन कोई कटौती नहीं की जाती है, और, यदि कटौती की जाती है, तो उस तारीख से जमा नहीं की जाती है, जिस तारीख को ऐसी राशि कटौती योग्य थी, जिस तारीख को ऐसी राशि वास्तव में जमा की जाती है।

(7) जहां कटौती के बाद राशि जमा नहीं की गई है, उपधारा (6) में निर्दिष्ट ब्याज सहित ऐसी राशि संबंधित व्यक्ति की सभी संपत्तियों पर एक शुल्क होगी।

(8) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार कटौती के माध्यम से भुगतान किसी भी अन्य तरीके या ठेकेदार या उप-ठेकेदार से इस अधिनियम के तहत देय कर की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए, निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा प्राधिकारी माना जाएगा जिसके पास उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र है जहां कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का व्यवसाय या निवास स्थित है।

तर्क:

(18) याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों का नेतृत्व करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जी.आर. सेठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को दिए गए विभिन्न कार्यों के अनुबंध के निष्पादन में, या तो प्रमुख घटक श्रम का है या अधिकांश सामान शामिल है। कार्य अनुबंध के निष्पादन को अन्य राज्यों और यहां तक कि अन्य देशों या उसी आयरलैंड से आयात किया गया है जो अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है। राज्य विधायिका ऐसे लेनदेन पर कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं है जिस पर वह कानून बनाने में सक्षम नहीं है। एक बार जब कर स्वयं अधिनियम के प्रावधानों के तहत उद्ग्रहणीय नहीं है, केवल इसलिए कि वह वापसी योग्य है या बाद में व्यक्तियों को वापस कर दिया जाता है, तो लेवी पहली बार में वैध नहीं होगी। इस तथ्य के बावजूद कि कोई व्यक्ति लेनदेन पर कर का भुगतान करने के लिए अंततः उत्तरदायी नहीं हो सकता है, उसकी ओर से पहली बार में कटौती की जानी आवश्यक है। कुछ मामलों में, कुछ वैध कारणों से एक ठेकेदार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि वह कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है तो उसकी ओर से कटौती की जानी आवश्यक है और राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। राजकोष। ठेकेदार को उसका रिफंड केवल रिटर्न दाखिल करने और मूल्यांकन तैयार करवाने के बाद ही मिल सकता है, जो कि ऐसे ठेकेदार द्वारा खुद को पंजीकृत कराने के बाद ही संभव है। यह और कुछ नहीं बल्कि अनावश्यक उत्पीड़न और कर की वसूली है जो राज्य की विधायी क्षमता से परे होने के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का पूर्ण उल्लंघन है। तर्कों को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य) (2), और (नाथपा झाकरी संयुक्त उद्यम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। अन्य) (3), जहां क्रमशः उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 और हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के तहत समान प्रावधानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। आगे निर्भरता लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (4), लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम बिक्री कर आयुक्त (5) में गुजरात उच्च न्यायालय, लार्सन में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर है। और टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (6), और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य (7) में झारखंड उच्च न्यायालय, जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कटौती के लिए प्रदान करने वाले समान प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कार्य अनुबंधों के मामले में स्रोत पर कर।

664

चर्चाएँ:

(19) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में (सुप्रा) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दा उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'उड़ीसा अधिनियम') की धारा 13एए के विरुद्ध चुनौती थी। यह धारा शुरुआत में 28 अप्रैल, 1993 से जोड़ी गई थी, हालाँकि, ब्रजेंद्र मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य (8) के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिए जाने के बाद, इसे 4 अक्टूबर, 1993 को कुछ संशोधनों के साथ बदल दिया गया था। उड़ीसा अधिनियम की धारा 13एए संशोधन के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इस प्रकार पढ़ें:-

"13 एए कार्य ठेकेदारों को भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती -

(1) धारा 13 या इसके विपरीत किसी अन्य कानून या अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी ठेकेदार को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति (इसके बाद इसमें संदर्भित) किसी भी कार्य अनुबंध को पूरा करने के लिए 'कटौती प्राधिकारी' के रूप में अनुभाग), जिसमें ठेकेदार और

(ए) केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार, या

(बी) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के बीच अनुबंध के अनुसरण में माल में संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है। , या

(सी) किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई प्राधिकरण या निगम, या

665

(डी) किसी राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रम सहित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कोई कंपनी, या

(ई) कोई सहकारी सोसायटी या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य संघ। 1860 (1860 का 21)।

ठेकेदार के खाते में ऐसी राशि जमा करने के समय या नकद भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पहले हो, बिक्री कर के बराबर राशि काट लेगा कार्य अनुबंध के संबंध में ऐसी राशि का चार प्रतिशत, यदि कार्य अनुबंध का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है। XXX XXX XXX

(5)(ए) जहां, इस संबंध में ठेकेदार द्वारा किए गए आवेदन पर, आयुक्त संतुष्ट है कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी कार्य अनुबंध में माल में संपत्ति का हस्तांतरण दोनों शामिल हैं और श्रम या सेवा, या केवल श्रम या सेवा शामिल है और, तदनुसार, कार्य अनुबंध के संबंध में राशि के एक हिस्से पर कर की कटौती को उचित ठहराता है या, जैसा भी मामला हो, कर की कटौती को उचित नहीं ठहराता है, वह देने के बाद ठेकेदार को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, उसे निर्धारित तरीके से उचित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बशर्ते कि उक्त प्रमाणपत्र में कुछ भी इस अधिनियम के तहत ठेकेदार की बिक्री कर देनदारी के आकलन को प्रभावित नहीं करेगा।

(बी) जहां इस तरह का प्रमाण पत्र कटौती करने वाले प्राधिकारी के समक्ष एक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि ऐसा प्रमाण पत्र आयुक्त द्वारा रद्द नहीं किया जाता है, कटौती करने वाला प्राधिकारी या तो कर की कोई कटौती नहीं करेगा या जैसा भी मामला हो, उक्त प्रमाण पत्र के साथ कर की कटौती करेगा।"

(20) प्रावधान की वैधता को चुनौती से निपटने के दौरान, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि यह धारा राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे थी और तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया था। फैसले से संबंधित पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

“12. भवानी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य में [1967] 20 एसटीसी 290 (एससी); [1967]3 एससीआर 577, इस न्यायालय ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति किसी भी समय, कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उससे कर का संग्रह, बाद के चरण में रिफंड की संभावित आकस्मिकता के साथ, नहीं किया जाएगा।" मूल लेवी वैध है; क्योंकि, यदि आयरलैंड में विशेष बिक्री और खरीद को कराधान से पूरी तरह से छूट दी गई है, तो कर योग्य टर्नओवर की गणना करने या उस पर पहुंचने और कर लगाने के उद्देश्य से, किसी भी स्तर पर, उन्हें कभी भी ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

13. धारा 13-ए की स्पष्ट व्याख्या पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह राज्य बिक्री कर के स्रोत पर कटौती के प्रयोजनों के लिए अधिनियमित किया गया है जो एक ठेकेदार द्वारा कार्य अनुबंध के मूल्य पर देय है। कटौती के प्रयोजनों के लिए न तो मालिक और न ही आयुक्त, जो ठेकेदार को धारा 13-ए (5) के तहत एक प्रमाण पत्र जारी करता है, इस तथ्य को ध्यान में रखने

का हकदार है कि कार्य अनुबंध में एक अंतर के परिणामस्वरूप संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है। -राज्य बिक्री, बाहरी बिक्री या आयात के दौरान बिक्री। धारा 13-ए(1) के तहत मालिक को राज्य बिक्री कर के प्रति ठेकेदार की देनदारी के लिए उस राशि का चार प्रतिशत जमा करना आवश्यक है, जो वह ठेकेदार को जमा करता है या भुगतान करता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कार्य अनुबंध के मूल्य में शामिल है अंतरराज्यीय बिक्री, बाहरी बिक्री या आयात के दौरान बिक्री का मूल्य। इसलिए, हमारे विचार में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 13-ए के प्रावधान राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे हैं, क्योंकि राज्य

विधानमंडल अंतर-राज्य बिक्री, बाहरी बिक्री या बिक्री पर बिक्री कर लगाने के लिए कोई कानून नहीं बना सकता है। आयात का।"

667

(21) नाथपा झाकरी ज्वाइंट वेंचर के मामले (सुप्रा) में चुनौती हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 की धारा 12-ए के दायरे में थी, जो इस प्रकार है

: "12. बिलों/चालानों से कर कटौती कार्य ठेकेदार:-

(1) धारा 13 में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण कोई भी भुगतान या किसी दायित्व का निर्वहन कर रहा है, चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल, कार्य ठेकेदारों द्वारा देय बिलों या चालानों से, ऐसी बिक्री पर देय कर का एक हिस्सा या पूर्ण होने के लिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, चार प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं की जाएगी। व्यक्ति:

बशर्ते कि कार्य ठेकेदारों द्वारा उठाए गए किसी भी बिल का ऐसा कोई भी भुगतान या भुगतान कटौती के बिना नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि राज्य के राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकती है। ऐसे व्यक्तियों के नाम/पद अधिसूचित करें जो ऐसी कटौतियाँ करने के लिए सक्षम व्यक्ति होंगे।"

(22) इस मुद्दे से निपटने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले (सुप्रा) में फैसले पर भरोसा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल अधिनियम की धारा 12 ए को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे है और निर्देश दिया राज्य द्वारा एकत्र की गई

668

राशि वापस करने के लिए। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं: मेसर्स केशोब प्लांट्स बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड 667 और अन्य (राजेश बिंदल, जे.) “4. दोनों प्रावधानों के एक मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी प्रावधान में कार्य ठेकेदार द्वारा उठाए गए बिलों या चालानों पर कार्य अनुबंध से संबंधित लेनदेन से 4 प्रतिशत या 2 प्रतिशत से अधिक की कटौती करने का दायित्व नहीं है, क्योंकि मामला हो सकता है. यद्यपि प्रावधान का उद्देश्य कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय मूल्यवान विचार पर सभी कार्य अनुबंध पर लेनदेन के संबंध में कर को पूरा करना है, प्रावधान का प्रभाव यह है कि, चाहे जो भी हो चाहे बिक्री अंतरराज्यीय बिक्री हो या बाहरी बिक्री या निर्यात बिक्री जो राज्य अधिनियम के दायरे से बाहर हो और वे लेन-देन जिनके संबंध में अधिनियम के संदर्भ में भी कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी कटौती की जानी चाहिए ठेकेदारों के बिल या चालान में। यह कहना कि यदि कोई व्यक्ति कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन पूरा होने पर बाद के चरण में रिफंड प्राप्त किया जा सकता है, तो कोई सांत्वना नहीं है, जैसा कि भवानी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य [1967] 20 एसटीसी 290 में देखा गया है। (अनुसूचित जाति); [1967]3 एससीआर 577। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा की जा सकने वाली कटौती की सीमा के प्रमाणीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि कार्य ठेकेदार को देय राशि से 4 प्रतिशत तक की कटौती करने के लिए संबंधित व्यक्ति को मनमानी और अव्यवस्थित शक्तियां प्रदान की गई हैं, भले ही लेनदेन अंततः किसी भी बिक्री कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो। मामले को देखते हुए, हमें राज्य की ओर से पेश किए गए तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

5. विद्वान वकील ने हमारा ध्यान बिहार बिक्री कर अधिनियम के तहत उत्पन्न एक मामले के फैसले और उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के तहत पहले के फैसले की ओर आकर्षित किया, लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया [2000] 118 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर एसटीसी 297; (2000)2 स्केल 98, इसका उल्लेख करना पूरी तरह से अनावश्यक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मामले [2000] 118 एसटीसी 297(एससी),

(2000)2 स्केल 98(एससी) में फैसले के बाद, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और रिट याचिका को स्वीकार करके और रद्द करके उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर देते हैं। उपरोक्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल के दायरे से बाहर हैं। नियम 31-ए के साथ पठित धारा 12-ए के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता से एकत्र की गई ऐसी राशि राज्य द्वारा तुरंत वापस कर दी जाएगी। यदि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में किसी भी बैंक में कोई राशि जमा की गई है,

669

तो वह उस पर अर्जित ब्याज के साथ अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी। मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।"

(23) वी.टी.पी. में निर्माण बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (9), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और नाथपा झाकरी ज्वाइंट वेंचर के मामले (सुप्रा) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करते हुए, छत्तीसगढ़ वाणिज्य अधिनियम की धारा 35 को रद्द कर दिया। कर अधिनियम, 1994 में स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य बनाम वी.टी.पी. मामले में बरकरार रखा था। निर्माण (10).

(24) लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में चुनौती बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 25-ए के दायरे में थी, जो संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में देय किसी भी राशि से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान करती थी। कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान। पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रावधान को राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे पाते हुए अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल में संपत्ति के हस्तांतरण या बाहर बिक्री से संबंधित सीमा तक इसे रद्द कर दिया। राज्य या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 के दायरे में आयात के दौरान या उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के अर्थ के भीतर 'घोषित माल'।

(25) लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष, चुनौती गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969 की धारा 57बी के दायरे में थी, जो एक ठेकेदार

को किए गए भुगतान पर कर की कटौती का प्रावधान करती थी। किसी निर्दिष्ट कार्य अनुबंध के अनुसरण में कोई कार्य करना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रावधान को रद्द कर दिया गया और पहले से काटी गई राशि की वापसी के लिए एक निर्देश जारी किया गया।

(26) लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष, कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 19ए के तहत समान लेनदेन के लिए कर कटौती प्रदान करने को भी चुनौती दी गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के

670

मामले (सुप्रा) और नाथपा झाकरी संयुक्त उद्यम के मामले (सुप्रा) में फैसले के बाद इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि यह राज्य विधायिका के दायरे से बाहर है। इसी तरह का प्रभाव लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के मामले (सुप्रा) के मामले में फिर से झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला है।

(27) यदि ऊपर उल्लिखित कानून के प्रतिपादन को वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों में माना जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अधिनियम की धारा 10सी के प्रावधान उन प्रावधानों के लिए पैरामटेरिया हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट रूप से राज्य विधायिका की क्षमता से परे है।

(28) तदनुसार, पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 10सी को अधिकारातीत घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के खाते में काटी गई कर की राशि तुरंत वापस करने का निर्देश दिया गया है।
